

FORM NO-III

फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

#18020/002050

12/20

आज अदालत- अपीलिय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकास अजमेर

सरुण अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

किरम मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005

प्रकरण संख्या 12 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

20/2/2020

पत्रायली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन बाबत वांछित सूचना/प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 21.01.2020 से प्रेषित किया जाने का उल्लेख करते हुए टिप्पणी प्रेषित की है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रत्युत्तर से सन्तुष्ट नहीं होना जाहिर किया गया है। लिहाजा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट/प्रार्थी के मूल आवेदन का पुनः अवलोकन कर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार देय सूचना/प्रत्युत्तर/15 दिवस की अवधि में प्रार्थी/अपीलान्ट को निशुल्क उपलब्ध कराये। अपील अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रायली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(विश्व मोहन राणी)
जिला कलक्टर, अजमेर